राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 9 मई, 1994

क्रमांक 2341-ज-2-94/8963.—श्री हजारी लाल लाम्बा, पुत्र श्री ठाकुर दास लाम्बा, निवासी 5355/4 पंजाबी मौहल्ला, सदर बजार, अम्बाला छावनी, जिला अम्बाला को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4037-र-(III)-70/14674, दिनांक 2 जुलाई, 1970 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री हजारी लाल लाम्बा की दिनांक 13 दिसम्बर, 1992 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री हजारी लाल लाम्बा की विधवा श्रीमती कर्मावाली के नाम खरीफ 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 1147-ज-2-94/8967.—श्री भगवान सिंह दहिया, पुत्र श्री खेम चन्द दहिया, निवासी गांव नाहरी, तहसील सोनीपत, जिला रोहतक अब सोनीपत को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1) तथा 3(1)(ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4621-आर-4-67/3544, दिनांक 4 अक्तूबर, 1967 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री भगवान सिंह दहिया की दिनांक 26 नवम्बर, 1993 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री भगवान सिंह दहिया की विधवा श्रीमती खजानी दहिया के नाम खरीफ, 1994 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 516-ज-2-94/8971.—श्री दया नन्द, पुत्र श्री भुग लाल, निवासी गांव रूखी, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1) तथा 3 (1) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 966-ज-2-74/15307, दिनांक 31 मई, 1974 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री दयानन्द की दिनांक 22 अक्तूबर, 1993 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री दयानन्द की विधवा श्रीमती कस्तूरी देवी के नाम खरीफ, 1994 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 1090-ज-2-94/8975.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल मेजर मान सिंह हंजरा, पुत्र श्री जवाहर सिंह, निवासी मकान नं० 870, वार्ड नं० 3 पानीपत, जिला पानीपत को रबी 1973 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से खरीफ 1992 तक 300 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसरण सहर्ष प्रदान करते हैं।